कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1117 /11–सी–FP/UP/Other/35115/2018, लखनऊ, दिनांकः दिसम्बर 27 ,2018

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त,
फैजाबाद।

विषयः– जनपद–अम्बेडकरनगर में माईओन ईको एनर्जी प्रा0 लि0, द्वारा बहराइच–आजमगढ़ मार्ग (एस0एच0–30) के किमी0 166 से 167 के मध्य दांयी पटरी पर स्थित गाटा सं0–327मि, ग्राम–तिवारीपुर, तहसील–अकबरपुर, जिला–अम्बेडकरनगर में प्रस्तावित बायो डीजल पम्प के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.091195 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 03 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–2027/14–10, दिनांक 28.11.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. हरियाली घनत्व एवं इको क्लास–III के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न नहीं है।
2. भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो0नि0वि0) द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 24.07.13 के अनुसार अनुमोदित ले आउट प्लान संलग्न नहीं है।
3. वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र में जिलाधिकारी की मोहर व पत्रांक सं0 व दिनांक अंकित नहीं है तथा ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड भी नहीं किया गया है। अतः संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
4. पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
5. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–4(ii) में वृक्षों की संख्या त्रुटिपूर्ण अपलोड की गयी है। अतः वास्तविक बाधक वृक्षों की सं0 ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
6. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(i) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वनभूमि का क्षेत्रफल 0.091195 हे0 अंकित किया गया है, जबकि प्राक्कलन में 0.16 हे0 है जो कि विरोधाभाष एवं त्रुटिपूर्ण है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वनभूमि का सही क्षेत्रफल अपलोड करें।
7. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(iii) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वनभूमि का सत्यापित Geo Referenced Digital Map अपलोड नहीं किया गया है।
8. प्रस्तावित वनभूमि के Geo Referenced Digital Map के kml file की सीडी संलग्न नहीं है।
9. ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail में हार्डकापी भाग–2 अपलोड किया गया है तथा Remark कालम में FRA Certificate लिखा गया है, जोकि गलत है।
10. ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड़ नहीं किये गये है अतः सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड़ करते हुये Remarks Column में प्रमाण पत्र का नाम भी अंकित करें।
11. ऑनलाइन पार्ट–1 प्रस्ताव में संलग्न नहीं हैं।
12. प्रस्ताव की दो प्रति ही उपलब्ध करायी गयी है। अतः एक और प्रति मूल में उपलब्ध करायें।
13. प्रस्ताव में वन स्वरूप एवं सेन्चुरी/वन्य जीव विहार से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की पुनरावृति हुई है। अतः अतिरिक्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव से पृथक करें।
14. प्रस्ताव में कहीं पर बहराइच–आजमगढ़ मार्ग, कहीं पर फैजाबाद–अकबरपुर मार्ग एवं कहीं पर फैजाबाद–आजमगढ़ मार्ग लिखा गया है। अतः इस विषमता को स्पष्ट करते हुये प्रस्ताव में संलग्न सभी प्रमाण पत्रों पर सही मार्ग का उल्लेख करें।

Acy-2435

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित विषय सूची सहित प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 02 मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करने का कष्ट करें।

भवदीय

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 1143 /11–सी– FP/UP/Other/35115/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, अम्बेडकरनगर वन प्रभाग, अम्बेडकरनगर।
2. टेरीटरी मैनेजर, माई ओन इको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, 307–308, साइबर हाइट 3 फ्लोर, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सामने, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-2436